ऋचा मिश्रा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

(2016 की सिविल अपील संख्या 274)

08 फरवरी, 2016

[न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और अभय मनोहर सप्रे]

सेवा कानूनः

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997- नियम 4- छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (राजपत्रित) सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम, 2000- नियम 8- सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें- छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2005- राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2003- नियम 5 -नियुक्ति- पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पद- अपीलकर्ता- आबकारी उप निरीक्षक ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण हुई- हालांकि, सफल उम्मीदवारों की सूची में नाम शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह पहले ही 25 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुकी थी- अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका इस आधार पर कि वह सरकारी सेवक होने के कारण 2000 के नियमों के नियम 8 के अनुसार आयु में छूट का लाभ पाने की हकदार थी- रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उसने कट-ऑफ तिथि के बाद सरकारी नौकरी में प्रवेश किया था और इस तरह वह प्रासंगिक तिथि पर सरकारी कर्मचारी नहीं थी।- इसके बाद, 1997 के नियमों के नियम 4 के तहत आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाली रिट अपील, जिसमें महिला उम्मीदवारों को आयु में अन्य छूट के अलावा दस साल की छूट उपलब्ध है- रिट अपील को भी यह कहते हुए खारिज

कर दिया गया कि 2000 के नियमों का नियम 8, 1997 के नियमों पर लागू होगा- अपील पर, माना गया: भर्ती 2000 के नियमों के तहत सही ढंग से की गई थी- अपीलकर्ता ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट का हकदार है जैसा कि 1997 के नियमों के नियम 4 में महिला उम्मीदवारों को प्रदान किया गया था, सपठित परीक्षा नियम, 2003, इस तथ्य के बावजूद कि 2000 के नियमों में महिला उम्मीदवारों के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है - 1997 के नियम विशिष्ट नियम हैं, और नियम 4 विशेष रूप से राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पदों पर महिलाओं को आयु में छूट का लाभ देने के लिए हैं- परीक्षा नियम, 2003, जिसमें विशेष रूप से 1997 के नियमों की प्रयोज्यता का प्रावधान शामिल है, परीक्षा के लिए लागू होगा- इस प्रकार, अपीलकर्ता उपाधीक्षक के पद के लिए विचार किए जाने के योग्य है- उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता को उसी दिन से पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त करने को निर्देश जारी करना, जिस दिन योग्यता सूची में उसके कनिष्ठों की नियुक्ति की गई थी।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 चयन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (राजपत्रित) सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम, 2005 के 27 सितंबर, 2004 और 26 मार्च, 2005 को राज्य सरकार द्वारा सीपीएसई को भेजे गए अधियाचनों के साथ प्रख्यापित होने से पहले शुरू हुई थी। उस समय नियमावली, 2000 प्रचलन में थी। इस कारण अधियाचना में भी यह उल्लेख किया गया था कि नियुक्तियां छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक (राजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2000 के तहत की जानी है। इसके अलावा, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जिन रिक्तियों को भरा जाना था, वे 2005 से पहले की अवधि के लिए थीं। ऐसी रिक्तियों को उन नियमों, यानी 2000 के नियमों के अनुसार भरने की आवश्यकता है। [परिच्छेद 19] [331 -सी-ई]

1.2 राज्य ने विशेष रूप से यह उल्लेख करते हुए मांग भेजी कि भर्ती 2000 के नियमों के तहत होनी चाहिए। विज्ञापन में भी ऐसा प्रावधान किया गया था।अपीलकर्ता ने कभी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं दी और तर्क दिया कि 2005 के नियमों की घोषणा के बाद भर्ती 2005 के नियमों के तहत होनी चाहिए थी, न कि 2000 के नियमों के तहत। इसलिए अपीलकर्ता को यह तर्क देने से भी रोका जाता है कि भर्ती 2005 के नियमों के तहत की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, भर्ती 2002 के नियमों के अनुसार सही ढंग से की गई थी। [परिच्छेद 22, 23] [332-जी; 333-ए-बी]

1.3 2000 के नियमों का नियम 8, जो अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवारों की ऊपरी और निचली आयु से संबंधित प्रावधान निर्धारित करता है, महिला उम्मीदवारों के संबंध में आयु में छूट के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। नियम 8 के साथ संलग्न नोट (2) में प्रावधान है कि किसी भी अन्य स्थिति में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2003 के साथ पठित मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 आकर्षित होंगे और चूंकि ये नियम महिला उम्मीदवारों को दी जाने वाली आयु में दस वर्ष तक की छूट प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करते हैं। 1997 के नियम विशिष्ट नियम हैं, जो विशेष रूप से राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पद पर महिलाओं को आयु में छूट का लाभ देने के लिए हैं। ये नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए वैधानिक प्रकृति के हैं। अनुच्छेद 15(3) में निहित संवैधानिक भावना के अनुरूप महिलाओं के पक्ष में ऐसा विशेष प्रावधान किया गया है। नियम, 1997 को प्रख्यापित करने के पीछे का हितकारी आशय और उद्देश्य स्पष्ट है और इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को, जिन्हें अब तक कमजोर वर्ग के रूप में जाना जाता था, सार्वजनिक रोजगार सहित विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर कामकाजी महिला बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे स्वाभाविक रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जो समय की मांग है।

महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाना, सकारात्मक सम्मान के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाना और विकास गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाना है। [परिच्छेद 25, 26][333-जी-एच) [334-ए-डी; 335-ई]

1.4 जब कानून निर्माताओं द्वारा अधीनस्थ कानून के रूप में ऐसी सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उन्हें उचित रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है ताकि जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है वह उपयुक्त रूप से प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में देखा जाए तो, जब छत्तीसगढ़ राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पद पर नियुक्ति की मांग करने वाली महिला उम्मीदवारों की बात आती है, तो 1997 के नियमों के नियम 4 को सार्वभौमिक रूप से लागू किये जाने के लिए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। आख़िरकार, वैधानिक चरित्र वाले उक्त नियम को लागू करने के पीछे यही प्राथमिक उद्देश्य है। [परिच्छेद 27) [335-एफ-जी]

1.5 उपाधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2003 के तहत आयोजित की गई थी। उक्त नियमों का नियम 5 पात्रता शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रीयता, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आदि निर्धारित करने के अलावा, यह विशेष रूप से उम्मीदवारों की आयु से संबंधित प्रावधान निर्धारित करता है। परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा को पात्रता शर्त के रूप में निर्धारित करने के बाद, आयु के इस प्रावधान का परंतुक राज्य सरकार को सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल किसी भी सेवा के लिए निचली और ऊपरी आयु सीमा में बदलाव करने का अधिकार देता है। यह नियम कुछ मामलों में ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान करता है। महिला उम्मीदवारों के लिए, विशेष रूप से एक प्रावधान किया गया है कि 1997 के नियमों के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उपरोक्त नियम, 1997 में शामिल तरीके को प्रश्न में

परीक्षा के लिए लागू किया गया था और इस तरह नियम, 2000 में कमी भी पूरी हो गई थी। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि 2000 के नियमों के नियम 8 में 1997 के नियमों का लोप महज आकस्मिक था और यह आकस्मिक चूक का मामला नहीं था। इस कारण से 2005 के नियमों को अधिनियमित करते समय 2005 के नियमों के नियम 8(एफ) में एक विशिष्ट प्रावधान बनाकर उक्त चूक को भी सुधारा गया था। [परिच्छेद 29, 30] [337-ए-एफ]

1.6 अधीनस्थ विधान की व्याख्या का हितकर लक्ष्य सामाजिक उद्देश्य और फलस्वरूप सामाजिक न्याय प्राप्त करना है।जब उक्त सभी नियमों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो नियम बनाने वाले प्राधिकारी का आशय स्पष्ट हो जाता है और स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। नियम बनाने वाले अधिकारियों की मंशा हमेशा महिला उम्मीदवारों को उम्र में छूट का लाभ देने की रही है। वह सच्चे आशय का प्रतिनिधित्व करता है। अन्यथा ऐसे नियमों का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने अस्पष्टता को दूर करके और 2005 के नियमों में भी एक विशिष्ट प्रावधान प्रदान करके अपना उद्देश्य प्रकट किया है जो अत्यधिक सावधानी के माध्यम से है ताकि इस प्रकार के विवादों या स्थितियों को समाप्त किया जा सके। [परिच्छेद 30,31] [337-जी; 341-एफ-जी]

1.7 अपीलकर्ता परीक्षा नियम, 2003 के साथ पठित नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार आयु में छूट की हकदार थी। इसलिए वह उपाधीक्षक पद के लिए विचार किए जाने के योग्य थीं। प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ता को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में उस दिनांक से नियुक्त करने का निर्देश जारी किया जाता है जिस दिनांक को योग्यता सूची में उसके कनिष्ठों को नियुक्त किया गया था। उसी आधार पर उनकी वरिष्ठता और वेतन तय किया जाएगा। [परिच्छेद 32] [341-एच; 342-बी]

वाई. वी. रंगैया और अन्य बनाम जे श्रीनिवास राव (1983) 3 एससीसी 284; बी.एल. गुप्ता एवं अन्य बनाम एम.सी.डी. (1998) 9 एससीसी 223; पी. गणेशलर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1988 (पूरक) एससीसी 740 :1988 पूरक एससीआर 805; राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम कीला कुमार पल्लीवाल और अन्य (2007) 10 एससीसी 260: 2007 (5) एससीआर 1131; पंजाब राज्य बनाम अरुण कुमार अग्रवाल (2007) 10 एससीसी 402: 2007 (6) एससीआर•8; शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला 2015 (11) स्केल 684; बादशाह बनाम सौ. उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य (2014) 1 एससीसी188: 2013 (10) एससीआर 259- संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

(1983) 3 एससीसी 284	परिच्छेद 19 संदर्भित।
(1998) 9 एससीसी 223	परिच्छेद 19 संदर्भित।
1988 सप्ल. एससीआर 805	परिच्छेद 19 उल्लेख किया गया है।
2007 (5) एससीआर 1131	परिच्छेद 20 संदर्भित।
2007 (6) एससीआर 8	परिच्छेद 21 का संदर्भ दिया गया।
2015 (द्वितीय) स्केल 684	परिच्छेद 28 का उल्लेख किया गया है।
2013 (10) एससीआर 259	परिच्छेद 30 संदर्भित।

न्यायमूर्ति सप्रे के अनुसार: (पूरक):

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 अपीलकर्ता मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के नियम 4 में महिला उम्मीदवारों को प्रदान की गई आयु में छूट का दावा करने की हकदार है, जो राज्य सेवाओं के

नियम 5 के खंड (xiv) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है। परीक्षा नियम, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए अपीलकर्ता के मामले पर विचार करते समय लागू होते हैं। [परिच्छेद 3][342-ई]

1.2 1997 के नियमों और विशेष रूप से नियम 4 को प्रख्यापित करने का उद्देश्य विभिन्न राज्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। राज्य सेवाओं में पद के लिए किसी महिला उम्मीदवार के मामले पर विचार करते समय उसे इस तरह के लाभ से इनकार करना नियम को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता कि विधानमंडल भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की भावना के विपरीत है। [परिच्छेद 4] [342-एफ-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 274/2016

2009 की रिट अपील संख्या 358 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 10.03.2010 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए अजीत कुमार सिन्हा, टी.जी. नारायणन नायर, के.एन.मधुसूदनन।

प्रत्यर्थियों के लिए अपूर्व कुरुप, अनिरुद्ध पी. मायी, ए. सी. बॉक्सिपात्रो, डॉ. हर्ष पाठक, फारुख राशी, सिद्धार्थ शुक्ला, मोहित चौबे।

न्यायालय के दो निर्णय सुनाये गये-

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी द्वारा

1. वर्तमान अपील में विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह पुलिस उपाधीक्षक (इसके बाद 'डी.एस.पी.' के रूप में संदर्भित) के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। हालाँकि, अपीलकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और वह न केवल परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उत्तीर्ण हुई, फिर भी उसका नाम उक्त पद के लिए सफल उम्मीदवारों

की सूची में शामिल नहीं किया गया था। कारण यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित) सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम, 2000 (बाद में नियम, 2000 के रूप में संदर्भित) के अनुसार, पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 25 वर्ष थी और वह पहले ही उक्त आयु सीमा पार कर चुकी थी और इसलिए वह प्रश्नगत पद के लिए अयोग्य करार दी गई थी।

2. अपीलकर्ता को उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त न करने का प्रत्यर्थियों के इस निर्णय को अपीलकर्ता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह सरकारी कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट का लाभ पाने की हकदार थी। इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है कि उन्हें छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2003 (जिसे राज्य सेवा परीक्षा, 2003 भी कहा जाता है) पास करने के बाद बिलासपुर में आबकारी उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, उसने दावा किया कि वह एक सरकारी कर्मचारी थी और इस आधार पर उसने नियम, 2000 के नियम 8 के अनुसार आयु में छूट का दावा किया। हालाँकि, उनकी रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने दिनांक 21.04.2006 के नियुक्ति आदेश के तहत सरकारी नौकरी में प्रवेश किया था जो कि पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए कट-ऑफ तिथि 01 . 01.2006 के बाद थी और इसलिए आयु में छूट का लाभ पाने की हकदार नहीं थी। अपीलकर्ता ने खण्ड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 (इसके बाद 'नियम, 1997' के रूप में संदर्भित) के तहत आयु में छूट का लाभ का दावा किया। हालाँकि इस आधार पर भी वह सफल नहीं हुई है क्योंकि उच्च न्यायालय ने 10 मार्च, 2010 के आक्षेपित निर्णय के तहत रिट अपील को खारिज कर दिया है।

3. हम इस स्तर पर यह बताना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समान रूप से लिया

गया और 16 नवंबर, 2009 के सामान्य निर्णय द्वारा निर्णित किया गया। जबकि अपीलकर्ता सहित कुछ रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था और कुछ अन्य रिट याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए अनुमति दी थी कि उनके मामलों में वे आयु में छूट के हकदार थे और इसलिए, उन व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर मानते हुए चयन सूची योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए थी। सरकार ने उन उम्मीदवारों के पक्ष में ऐसी रिट याचिकाओं के परिणाम को चुनौती देते हुए रिट अपील दायर की थी। इन अपीलों को भी यहां अपीलकर्ता की अपील के साथ खण्ड पीठ द्वारा लिया गया था। उच्च न्यायालय ने उन अपीलों को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि ऐसे व्यक्ति भी आयु में छूट के लाभ के हकदार नहीं हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम उन मामलों के संबंध में चर्चा से बचेंगे जो स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं हैं।

4. यहां अपीलकर्ता के मामले में, विवाद का निर्णय करने के लिए जिन महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्ज करने की आवश्यकता है, उन्हें नीचे दोहराया गया है:

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता को दिनांक 24.01.2006 के नियुक्ति आदेश के तहत बिलासपुर में आबकारी उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 07.02.2006 को उक्त पद पर शामिल हुई थी। 27.09.2004 को, राज्य सरकार ने विभिन्न रिक्तियों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (बाद में 'सीपीएससी' के रूप में संदर्भित) को मांग भेजी जिसमें डी.एस.पी. के पद की रिक्तियां भी शामिल थीं। इसके बाद दिनांक 22.03.2005 को नई मांग की गई। इस अधियाचना में, राज्य सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि रिक्तियां नियम, 2000 के अनुसार भरी जाएंगी। इस मांग पर कार्रवाई करते हुए, सीपीएससी ने दिनांक 26.08.2005 को विज्ञापन जारी किया। यह बताना प्रासंगिक होगा कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.03.2005 को भेजी गई अधियाचना के पश्चात तथा दिनांक 26.08.2005 को विज्ञापन जारी होने के पूर्व, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित)

सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2005 (आगे से 'नियम, 2005' के रूप में संदर्भित) ') लागू हो गया जो 28.06.2005 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इन नियमों के प्रभाव पर संबंधित स्तर पर चर्चा की जाएगी।

5. यहां अपीलकर्ता ने उपाधीक्षक के पद के लिए आवेदन किया था और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुईं जिसे उन्होंने विधिवत उत्तीर्ण किया। उस आधार पर, अपीलकर्ता ने मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरा। इस फॉर्म में उन्होंने कहा था कि एक महिला होने के नाते वह ऊपरी आयु सीमा में कई वर्षों की छूट की हकदार हैं। इस तरह की छूट का दावा नियम, 1997 के आधार पर किया गया था जिन्हें 07.02.1997 से लागू किया गया था। इसके नियम 4 में आयु में छूट का प्रावधान है। हमारे उद्देश्यों के लिए, नियम 2 और नियम 4 प्रासंगिक हैं और इन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "2. क्षेत्र और अनुप्रयोग- किसी भी सेवा नियम में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पदों पर सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
>
> 4. आयु में छूट- राज्य के अधीन सेवाओं में सभी पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए महिला उम्मीदवारों को किसी भी सेवा नियम या कार्यकारी निर्देशों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अलावा दस वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी।"

6. अपीलकर्ता को मुख्य परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई और उसने उसे उत्तीर्ण भी कर लिया। तदनुसार, उन्हें 12.04.2007 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किए गए। उन्होंने मेरिट लिस्ट में 54 वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद, सीपीएससी ने चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार की और

उस सूची के अनुसार नियुक्तियां करने के लिए उस सूची को सरकार को भेज दिया। हालाँकि अपीलकर्ता का नाम डी.एस.पी. के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था, यद्यपि दो व्यक्ति तारकेश्वर पटेल और रानू साहू, जो योग्यता में नीचे थे, की अनुशंसा की गई। उन्होंने मेरिट लिस्ट में क्रमश: 59वां और 60वां स्थान प्राप्त किया था। अपीलकर्ता इससे व्यथित हुआ और उसने इस आशय का अभ्यावेदन दिया। हालाँकि, उनके अभ्यावेदन पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली जबकि इसके बाद 20.05.2007 को एक स्मरण-पत्र भेजा गया। प्रत्यर्थी की इस उदासीनता ने अपीलकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका के रूप में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया। उसकी दलील थी कि मौजूदा सरकारी सेवक होने पर भी उसे आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया गया था क्योंकि वह छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग में कार्यरत थी और एक सरकारी सेवक होने के नाते, वह आठ साल के लिए आयु में छूट की हकदार थी। इस याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह कट-ऑफ तिथि के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुई है और इसलिए वह संबंधित तिथि पर सरकारी कर्मचारी नहीं थी।

7. अपीलकर्ता ने रिट अपील दायर करके विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। इस रिट अपील में, उसने इस आधार पर आठ साल तक की आयु में छूट के लिए अपना मामला आगे नहीं बढ़ाया कि वह एक सरकारी कर्मचारी थी। इसके बजाय उन्होंने नियम 1997 के नियम 4 पर भरोसा किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को उम्र में अन्य छूट के अलावा दस साल की छूट उपलब्ध है। खण्ड पीठ ने माना है कि नियम 1997 के नियम 4 का लाभ उसके लाभ के लिए नहीं होगा और इस निष्कर्ष के समर्थन में पूरी चर्चा आक्षेपित निर्णय के परिच्छेद 52 और 53 में निहित है, जिसे यहां संपूर्ण रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"52. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपाधीक्षक के पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 20 और 25 वर्ष होगी, जिसमें आयु मानदंड में छूट के लिए नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं।

53. नियम, 2000 के नियम 8 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नियम, 1997 के तहत आयु में छूट उपाधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए लागू नहीं है। विज्ञापन से भी यह स्पष्ट है कि उपाधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं थी जबकि उपरोक्त नियमों के तहत आयु में छूट अन्य श्रेणियों में लागू की गई है। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा नियम, 2000 की प्रयोज्यता को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए उसे इस आधार पर फैसले पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह नियम, 1997 के नियम 4 के तहत आयु में छूट की हकदार थी।"

8. जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क से स्पष्ट है, नियम, 2000 का नियम 8 नियम, 1997 पर लागू होगा और इसलिए नियम, 1997 उपाधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए लागू नहीं हैं। उच्च न्यायालय विज्ञापन में निहित उस शर्त से भी सहमत है जिसके अनुसार पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए बाहरी आयु सीमा 25 वर्ष थी। इसलिए पूरा विवाद नियम, 1997 और नियम 2000 के साथ-साथ अन्य नियमों की परस्पर क्रिया के इर्द-गिर्द घूमता है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का केंद्र बिंदु बिल्कुल यही था।

9. हमने नियम, 1997 के नियम 2 और 4 के प्रावधानों को पहले ही पुन: प्रस्तुत कर दिया है। जैसा कि इसके नियम 4 को पढ़ने से पता चलता है, यह राज्य के

अधीन सेवाओं में 'सभी पदों पर' सीधी नियुक्ति के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट प्रदान करता है और यह छूट किसी भी सेवा नियमों या विशेषण निर्देशों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के 'अतिरिक्त' है। इन नियमों का नियम 2 यह स्पष्ट करता है कि नियम, 1997 किसी भी सेवा नियमों में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पद पर सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

10. जहां तक नियम, 2000 का प्रश्न है, ये वे नियम हैं जो राज्य पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित) सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती और पदोन्नति से संबंधित हैं। उपाधीक्षक का पद निश्चित रूप से इन नियमों के अंतर्गत आता है और इसलिए उपरोक्त पद के लिए पात्रता की शर्तें और भर्ती की पद्धति आदि इन नियमों में निहित हैं जो उपाधीक्षक के पद को भी शासित करते हैं। चूँकि, हम सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तों से संपृक्त हैं, यह उक्त नियमों का नियम 8 है जो प्रासंगिक है। यह नियम निचली और ऊपरी आयु सीमा का भी प्रावधान करता है। उक्त नियम में निहित आयु से संबंधित प्रावधान का प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, जिससे पात्रता की अन्य शर्तों से संबंधित प्रावधान हटा दिए गए हैं जिनका संबंध नहीं है: -

> "8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें- परीक्षा में प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्: -
>
> (1) आयु.--(क) उसे परीक्षा के प्रारंभ की तारीख के बाद अगले जनवरी के पहले दिन, अनुसूची III के कॉलम 4 में निर्दिष्ट आयु प्राप्त करनी चाहिए और उक्त अनुसूची के कॉलम 5 में निर्दिष्ट आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट होगी।

(ग) उन उम्मीदवारों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी जो मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रहे हैं, विस्तार तक और नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन: -

(i) एक उम्मीदवार जो स्थायी सरकारी सेवक है, उसकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) किसी पद को अस्थायी रूप से धारण करने वाले और किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा परियोजना क्रियान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी देय होगी।

(iii) एक उम्मीदवार जो एक छंटनीग्रस्त सरकारी सेवक है, उसे अपनी उम्र से उसके द्वारा पहले प्रदान की गई सभी अस्थायी सेवा की अवधि को अधिकतम 7 वर्ष तक काटने की अनुमति दी जाएगी, भले ही वह एक से अधिक अवधि का प्रतिनिधित्व करती हो, बशर्ते कि परिणामी आयु ऊपरी आयु सीमा से तीन वर्ष अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- 'छंटनी किये गये सरकारी सेवक' शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो इस राज्य या किसी भी घटक इकाई के सरकारी सेवक में कम से कम छह महीने की लगातार अवधि के लिए था और जिसे रोजगार कार्यालय में उसके पंजीकरण या सरकारी सेवा में रोजगार के लिए अन्यथा किए गए आवेदन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक से

पहले कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण सेवामुक्त कर दिया गया था।

(घ) एक उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी उम्र से पहले प्रदान की गई सभी रक्षा सेवाओं की अवधि में कटौती करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि परिणामी आयु ऊपरी आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण - 'भूतपूर्व सैनिक' शब्द ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित है और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह महीने की निरंतर अवधि के लिए कार्यरत था और अर्थव्यवस्था इकाई की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप या उसके पंजीकरण और किसी भी रोजगार कार्यालय या सरकारी सेवा में रोजगार के लिए अन्यथा किए गए आवेदन की तारीख से तीन साल से अनधिक होने वाली कर्मचारियों की संख्या में सामान्य कमी के कारण उसकी छंटनी कर दी गई या अधिशेष घोषित कर दिया गया : -

(i) भूतपूर्व सैनिक को रियायत के तहत रिहा किया गया;

(ii) भूतपूर्व सैनिक को दूसरी बार भर्ती किया गया और छुट्टी दे दी गई-

(ए) अल्पकालिक कार्य पूरा करना;

(बी) नामांकन की शर्तों को पूरा करना;

(iii) अधिकारी (सैन्य और सिविल) को उनके अनुबंध के पूरा होने पर सेवामुक्त कर दिया गया (लघु सेवा नियमित कमीशन अधिकारियों सहित);

(iv) अवकाश रिक्तियों पर लगातार छह महीने से अधिक समय तक काम करने के बाद अधिकारियों को छुट्टी दे दी गई।

(ङ) विधवा, निराश्रित या तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के संबंध में सामान्य ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत ग्रीन कार्ड धारक उम्मीदवारों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में भी दो वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह कार्यक्रम के तहत किसी जोड़े के सम्मानित श्रेष्ठ जाति के भागीदारों के संबंध में सामान्य ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट होगी।

(ज) 'विक्रम पुरस्कार' धारक अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(झ) मध्य प्रदेश राज्य निगम/बोर्डों के उम्मीदवारों (जो कर्मचारी हैं) के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 33 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी।

(ञ) स्वैच्छिक होम-गार्ड के मामले में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए ऊपरी आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अधीन छूट दी जाएगी लेकिन किसी भी स्थिति में उनकी आयु 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी (1) उपरोक्त खंड (ग) के उप-खंड (i) और (ii) और खंड (i) में उल्लिखित आयु रियायत के तहत चयन में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन जमा करने के बाद वे चयन से पहले या बाद में सेवा से इस्तीफा दे दें। हालाँकि

यदि आवेदन जमा करने के बाद उन्हें सेवा या पद से हटा दिया जाता है तो वे पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी (2) किसी भी अन्य स्थिति में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी (3) विभाग के उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

11. अनुसूची III के कॉलम (4) में उपाधीक्षक (मुख्यालय, प्रशिक्षण, जेएनपीए, पीटीसी, पीटीएस, सुरक्षा, लाइन्स आदि) के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान को समग्र रूप से पढ़ने से पता चलता है कि निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को विभिन्न अवधि की आयु में छूट प्रदान की जाती है:

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग।

(ii) मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी जो स्थायी पद या अस्थायी पद पर हैं या छंटनी किये गये सरकारी सेवक हैं।

(iii) भूतपूर्व सैनिक

(iv) विधवा / निराश्रित या तलाकशुदा महिला उम्मीदवार

(v) परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत ग्रीन कार्ड धारक उम्मीदवार

(vi) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत दंपत्ति के श्रेष्ठ जाति के साथियों को पुरस्कृत किया गया।

(vii) वे उम्मीदवार जो 'विक्रम पुरस्कार' धारण कर रहे हैं

(viii) उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश राज्य निगम/बोर्ड के कर्मचारी हैं।

(ix) वे अभ्यर्थी जो स्वैच्छिक गृह-रक्षक हैं।

12. माना जाता है कि अपीलकर्ता का मामला उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आता है जिसमें आयु में छूट प्रदान की गई है। यदि किसी को टिप्पणी (2) को ध्यान में रखते हुए अलग से नियम 8 का पालन करना है, तो अपीलकर्ता के मामले में आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, इस संदर्भ में, यह सवाल उठता है कि क्या नियम, 1997, जिसमें महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभी भी लागू होंगे कि अपीलकर्ता एक महिला उम्मीदवार है। जबकि, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा का तर्क यह है कि चूंकि राज्य में सभी पदों के संबंध में महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष नियम हैं, इसलिए यह विशेष प्रावधान लागू है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि नियम, 2000 के नियम 8(1) को ध्यान में रखते हुए, जो विशेष रूप से प्रश्नगत पद के लिए 'आयु' से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है, यह वह नियम है जो जहां तक 'आयु' का संबंध है, उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करेगा।

13. हम यहां जोड़ सकते हैं कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा ने भी हमारा ध्यान दिनांक 9 जून 2003 के राज्य सेवा परीक्षा नियम (परीक्षा नियम, 2003) की ओर आकर्षित किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत परीक्षा उन नियमों के अनुसार आयोजित की गई थी। ये नियम उपाधीक्षक के पद पर भी लागू होते हैं और उसका नियम 5 पात्रता शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रीयता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आदि निर्धारित करने के अलावा, यह विशेष रूप से उम्मीदवारों की आयु से संबंधित प्रावधान बताता है। हालाँकि, प्रतियोगी परीक्षा शुरू होने की तारीख के बाद पहली जनवरी को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है, आयु के इस प्रावधान का परंतुक राज्य सरकार को सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल किसी भी सेवा के लिए निचली

और ऊपरी आयु सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार देता है। यह नियम कुछ मामलों में ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान करता है। हमारे लिए प्रासंगिक बात क्या है, यह है कि महिला उम्मीदवारों के लिए, एक प्रावधान विशेष रूप से बनाया गया है कि नियम, 1997 के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी, जैसा कि उक्त प्रावधान से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

> "(xiv) अधिकतम 10 वर्ष तक: महिला अभ्यर्थी के लिए: दिनांक 7.2.1997 के राजपत्र (असाधारण), प्रकाशित नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति का विशेष प्रावधान) नियम 1997 के अनुसार, महिला उम्मीदवार को आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।"

इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए, श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि चूंकि परीक्षाएं उपरोक्त नियमों के तहत आयोजित की गई थीं, इसलिए उक्त विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर, अपीलकर्ता नियम, 1997 के अनुसार आयु में छूट का हकदार था।

14. श्री अजीत कुमार सिन्हा की एक अन्य दलील यह थी कि किसी भी मामले में प्रत्यर्थियों के लिए नियम, 2000 के आधार पर भर्ती करना इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं था कि छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2005 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी 28 जून, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से प्रख्यापित किया गया था और, इन नियमों ने विशेष रूप से नियम, 2000 को निरस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि इन नियमों में नियम, 1997 के संदर्भ में महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की छूट देने के लिए नियम 8 (च) के तहत विशिष्ट प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

"8(च) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट होगी। यह छूट अन्य आयु छूट के अतिरिक्त होगी।"

15. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, प्रश्नगत पद के लिए विज्ञापन, जिसमें अपीलकर्ता ने भाग लिया था, 26 अगस्त, 2005 को जारी किया गया था, यानी नियम, 2005 की घोषणा के बाद, जो 28 जून, 2005 से प्रभावी हुआ और, इसलिए, यह नियम, 2005 है जो लागू था और क्योंकि इन नियमों में नियम, 1997 की प्रयोज्यता पर महिला उम्मीदवारों के लिए छूट के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।

16. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि इस मामले में राज्य द्वारा पहली मांग 27 सितंबर, 2004 को भेजी गई थी, जिसके बाद 23 मार्च, 2005 को दूसरी मांग भेजी गई थी। ये मांगें उस पद के संबंध में थीं जो उस समय खाली हो गए थे और इन मांगों की तारीखों के अनुसार, नियम 2000 लागू थे। यही कारण है कि अधियाचना (मांग) में भी यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रश्नगत पद नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रक्रिया नियम, 2000 के तहत शुरू की गई थी, इसलिए इसे नियम, 2005 में स्पष्ट रूप से सहेजा गया था, जैसा कि निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित नियम 27 के प्रावधान से स्पष्ट है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"27. निरसन और व्यावृत्ति:

बशर्ते कि इस प्रकार निरस्त किए गए नियमों के तहत किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।"

17. यह तर्क दिया गया कि इसी कारण से विज्ञापन में भी यह उल्लेख किया गया था कि पद नियम, 2000 के अनुसार भरे जाएंगे। आगे यह तर्क दिया गया कि इस विज्ञापन को अपीलकर्ता द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए रिक्तियों के संबंध में नियम, 2000 के तहत की गई भर्ती, जो उस अवधि के लिए थी जब नियम, 2000 लागू थे, को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण की इसी पंक्ति में, यह आगे तर्क दिया गया कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि नियम, 2000 इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं तो माना कि इन नियमों के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय ने सही माना कि अपीलकर्ता वह आयु में ऐसी किसी छूट की हकदार नहीं है और इसलिए उसे आयु अवरोध का सामना करना पड़ा।

18. ऊपर दिए गए तर्कों से, जो प्रश्न विचाराधीन हैं और जिनके उत्तर की आवश्यकता है वे निम्नलिखित हैं:

(ए) क्या उपाधीक्षक के पद की भर्ती नियम, 2005 द्वारा शासित थी या यह नियम, 2000 के तहत सही तरीके से की गई थी?

इस स्तर पर ही यह बताया जा सकता है कि यदि नियम, 2005 लागू होते हैं तो मामले का परिणाम स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के पक्ष में होगा क्योंकि नियमों में विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है। हालाँकि, यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि भर्ती प्रक्रिया नियम, 2000 के तहत सही ढंग से की गई थी, तो विचार के लिए आगे प्रश्न उठेगा, जैसे:

(बी) इस तथ्य के बावजूद कि नियम, 2000 में महिला उम्मीदवारों के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है, क्या नियम, 1997 के तहत महिला उम्मीदवारों को छूट अभी भी उपलब्ध होगी?

प्रश्न संख्या (बी) के दो आकस्मिक पहलू हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) क्या नियम, 1997 लागू हैं, जो महिला उम्मीदवारों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का विशेष प्रावधान करते हैं?

(ii) क्या परीक्षा नियम, 2003 जिसमें विशेष रूप से नियम, 1997 की प्रयोज्यता का प्रावधान शामिल है, को प्रश्नगत परीक्षा के लिए लागू माना जाएगा?

19. प्रश्न क्रमांक 1

उच्च न्यायालय ने माना कि उपाधीक्षक के पद पर रिक्त सीटों के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की पहली और दूसरी मांग तब की गई थी जब नियम, 2000 लागू थे। इसलिए भर्ती नियम, 2000 के तहत सही ढंग से की गई थी।

स्वीकृत तथ्य यह है कि चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा सीपीएसई को भेजे गए दिनांक 27 सितंबर, 2004 और 26 मार्च, 2005 को अधियाचनों के साथ प्रख्यापित होने से पहले शुरू हुई थी। उस समय नियम, 2000 प्रचलन में थे। इस कारण अधियाचना में भी नियम, 2000 के तहत नियुक्तियां किये जाने की बात कही गयी थी। इसके अलावा, यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जिन रिक्तियों पर विचार किया जाना था, वे 2005 से पहले की अवधि के लिए थीं। ऐसी रिक्तियों को उन नियमों, यानी नियम, 2000 के अनुसार भरने की आवश्यकता थी। यह प्रत्यक्ष कानूनी स्थिति है जिसे वाई. वी. रंगैया और अन्य बनाम जे. श्रीनिवास राव[1] से समझा जा सकता है। उस मामले के तथ्यों के अनुसार पुराने नियमों के अनुसार स्थानांतरण द्वारा सब-रजिस्ट्रार श्रेणी- II के ग्रेड पर नियुक्तियाँ करने के लिए अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची का हर साल एक पैनल तैयार किया जाना था। हालाँकि, वर्ष 1976 में पैनल तैयार नहीं किया गया था और याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इसी बीच नए नियम लागू हो गए। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि संशोधित नियमों से पहले होने वाली रिक्तियाँ पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी, न कि संशोधित नियमों द्वारा। बी.एल.

गुप्ता और अन्य बनाम एम.सी.डी.[2] के मामले में निर्णय इस संबंध में कानूनी स्थिति का सारांश भी प्रस्तुत करता है। पी. गणेश्वर राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य[3] में निर्णय भी इसी प्रभाव का है। कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को निर्धारित करने वाले निर्णय के परिच्छेद 9 को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "9. जब 1978 में वैधानिक नियम बनाए गए थे, तो रिक्तियों को केवल उक्त नियमों के अनुसार भरा जाना था। 1995 के नियमों को उच्च न्यायालय ने संभावित माना है और हमारी राय में यह सही निष्कर्ष था। ऐसा होने पर, सवाल यह उठता है कि क्या 1995 से पहले निकली रिक्तियों को 1995 के नियमों के अनुसार भरा जा सकता है। श्री मेहता ने हमारा ध्यान एन. टी. डेविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग [(1990) 3 एससीसी 157] के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया है। उस मामले में वाई. वी. रंगैया[1] पी. गणेश्वर राव[3], और ए.ए. कैल्टन बनाम शिक्षा निदेशक [(1983) 3 एससीसी 33] के मामलों में पहले के फैसलों का जिक्र करने के बाद इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि नियमों में संशोधन से पहले जो रिक्तियां हुई थीं वे पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी, न कि संशोधित नियमों द्वारा।"

20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में, सरकार पुराने नियमों के तहत रिक्तियों को न भरने का विवेकपूर्ण निर्णय ले सकती है और इस प्रकार, असाधारण मामलों में पूर्वोक्त सामान्य नियम से विचलन हो सकता है। इस कानूनी सिद्धांत को राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम कीला कुमार पल्लीवाल और अन्य[4] के मामले में निम्नलिखित शब्दों में मान्यता दी गई थी:

"विधि की इस प्रस्थापना पर कोई झगड़ा नहीं है कि सामान्य नियम यह है कि नए नियमों से पहले की रिक्तियां पुराने नियमों द्वारा शासित होंगी न कि नए नियमों द्वारा। हालांकि, वर्तमान मामले में, हम पहले ही मान चुके हैं कि सरकार ने पुराने नियमों के तहत रिक्ति को न भरने का सचेत निर्णय लिया है और इस तरह का निर्णय मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैध रूप से लिया गया है।"

21.पंजाब राज्य बनाम अरुण कुमार अग्रवाल[5] में इस स्थिति की पुनः पुष्टि की गई है।

22. हालाँकि, जहाँ तक वर्तमान मामले का सवाल है, राज्य ने विशेष रूप से यह उल्लेख करते हुए मांग भेजी थी कि भर्ती नियम, 2000 के तहत होनी चाहिए। विज्ञापन में भी ऐसा प्रावधान किया गया था। अपीलकर्ता ने कभी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं दी और तर्क दिया कि नियम, 2005 की घोषणा के बाद भर्ती नियम, 2005 के तहत होनी चाहिए थी न कि नियम, 2000 के तहत। इसलिए अपीलकर्ता को यह तर्क देने से भी रोका जाता है कि भर्ती नियम, 2005 के तहत की जानी चाहिए थी।

23. इस प्रकार, हम प्रश्न संख्या (i) का उत्तर यह मानते हुए देते हैं कि भर्ती नियम, 2000 के अनुसार सही तरीके से की गई थी।

24. प्रश्न संख्या (ii)- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम 2000 का नियम 8, जो अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार द्वारा पूरा किए जाने वाले आयु मानदंडों से संबंधित है, जहां तक महिला उम्मीदवारों का संबंध है, आयु में छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है। दूसरी ओर, हमारे पास नियम, 1997 हैं जिनमें वैधानिक बल भी है क्योंकि वे भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए

गए हैं। इन नियमों में महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं और राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पदों पर लागू किए जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां भर्ती नियम, 2000 के तहत की जाती है, जिसमें न केवल आयु में छूट के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं, बल्कि महिला उम्मीदवारों के पक्ष में आयु में छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है और इसके विपरीत टिप्पणी (2) के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 'किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी।' गौरतलब है कि नियम, 2000 में इस लोप को ध्यान में रखते हुए नियम, 2005 को तैयार किया गया था और इसलिए नियम, 2005 के नियम 8 में विशेष रूप से नियम 8 के उप-नियम (च) के तहत छूट प्रदान करके स्थिति का समाधान किया गया था जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियम, 1997 के अनुसार महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा भी उपलब्ध होगी। हालाँकि, हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके हैं कि नियम, 2005 प्रश्नगत चयन के संबंध में लागू नहीं होते हैं। इसलिए नियम, 1997 और उस तिथि पर लागू अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ नियम, 2000 को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर विचार करना होगा।

25. इसमें कोई संदेह नहीं है, नियम, 2000 का नियम 8, जो अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवारों की ऊपरी और निचली आयु से संबंधित प्रावधान निर्धारित करता है, महिला उम्मीदवारों के संबंध में आयु में छूट के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि नियम 8 के साथ संलग्न टिप्पणी (2) में प्रावधान है कि किसी भी अन्य स्थिति में आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। हालाँकि, यह मामले का अंत नहीं है। इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए क्षेत्र में मौजूद अन्य सभी पक्षों और सभी प्रासंगिक पक्षों के साथ मिलकर कानूनी स्थिति की जांच की जानी है। हमारी राय है कि राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2003 के साथ पठित नियम, 1997 आकर्षित होंगे और चूंकि ये नियम महिला उम्मीदवारों को दी जाने वाली दस वर्ष तक

की आयु में छूट प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान करते हैं, इसलिए यहां अपीलकर्ता उक्त लाभ की हकदार हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को आगे बताया गया है:

26. सबसे पहले, यह ध्यान में रखना होगा कि नियम, 1997 विशिष्ट नियम हैं, विशेष रूप से राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पद पर महिलाओं को आयु में छूट का लाभ देने के लिए हैं। ये नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए वैधानिक प्रकृति के हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) में निहित संवैधानिक भावना के अनुरूप महिलाओं के पक्ष में ऐसा विशेष प्रावधान किया गया है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। नियम, 1997 को प्रख्यापित करने के पीछे का हितकारी आशय और उद्देश्य स्पष्ट है और इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को, जिन्हें अब तक कमजोर वर्ग के रूप में जाना जाता था, सार्वजनिक रोजगार सहित विभिन्न व्यवसायों को अपनाकर कामकाजी महिला बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे स्वाभाविक रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, जो समय की मांग है। इस दुनिया में और विशेष रूप से भारत में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की लैंगिक विकलांगताओं और भेदभावों का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत के संविधान के तहत महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता की एक अद्वितीय स्थिति प्राप्त है। हालाँकि, वास्तविकता में, उन्हें इस संवैधानिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अब यह महसूस किया गया है कि वास्तविक सशक्तिकरण महिलाओं द्वारा हासिल किया जाएगा, जिससे उनका कल्याण होगा और उन्हें गारंटीकृत अधिकारों का आनंद लेने में सुविधा होगी, केवल तभी जब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। कुछ समय पहले तक, महिलाओं के लिए बेहतर उपचार प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इस कारण से, मुख्य रूप से महिलाओं की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया

था। अब ध्यान आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित हो गया है। ऐसे उद्देश्य धीरे-धीरे विकसित हुए हैं या व्यापक हुए हैं और विकास के मामले में महिलाओं की सक्रिय भूमिका भी इसमें शामिल हो गई है। अब महिलाएं कल्याण-वर्धक सहायता की निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं रह गई हैं, पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं द्वारा भी महिलाओं को परिवर्तन के सक्रिय अभिकर्ताओं: सामाजिक परिवर्तन के गतिशील प्रवर्तक के रूप में देखा जा रहा है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के जीवन को बदल सकते हैं। अब यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास और महिला सशक्तीकरण के बीच एक द्विदिशीय संबंध है, जिसे महिलाओं के विकास के घटकों- विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई के अवसर, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी तक पहुंचने की क्षमता में सुधार के रूप में परिभाषित किया गया है। इस द्विदिश संबंध को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित करके समझाया है कि एक दिशा में, अकेला विकास पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है; दूसरी दिशा में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव जारी रहने से विकास में बाधा आ सकती है। इस परिदृश्य में, सशक्तिकरण विकास को गति दे सकता है। इस मुद्दे को जिस भी दिशा से देखा जाए, यह महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने का औचित्य प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व बैंक और ऐसे अन्य निकायों द्वारा महिला सशक्तिकरण (क्योंकि इससे आर्थिक विकास होता है) पर बहुत जोर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 2012 की विश्व विकास रिपोर्ट (विश्व बैंक 2011) बहुत अधिक सूक्ष्म संदेश अपनाती है। हालाँकि यह महिला सशक्तीकरण के लिए "व्यावसायिक मामले" पर जोर देता है, लेकिन मुख्य रूप से यह मानता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता अपने आप में एक वांछनीय लक्ष्य है, और नीतियों का लक्ष्य उस लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। गरीबी और अवसर की कमी पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को जन्म देती है, इसलिए जब आर्थिक विकास से गरीबी कम होती है, तो महिलाओं की स्थिति में दो आधारों पर सुधार होता है:

पहला, जब गरीबी कम होती है, तो महिलाओं सहित सभी की स्थिति में सुधार होता है, और दूसरा, जैसे-जैसे गरीबी घटती है, लिंग असमानता घटती है, इसलिए विकास के साथ महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अधिक बेहतर होती है। हालाँकि, आर्थिक विकास पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिंगों के बीच समानता हासिल करने के लिए नीतिगत कार्रवाई अभी भी आवश्यक है। इस तरह की नीतिगत कार्रवाई स्पष्ट रूप से उचित होगी यदि महिलाओं का सशक्तिकरण भी आगे के विकास को प्रोत्साहित करता है, एक पुण्य चक्र शुरू करता है। इस प्रकार, महिलाओं के सशक्तिकरण को उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर बनाने, सकारात्मक सम्मान के साथ किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाने और विकास गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाने के रूप में माना जाता है।

27. उपरोक्त सभी और अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, जब कानून निर्माता द्वारा अधीनस्थ कानून के रूप में ऐसी सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उन्हें उचित रूप से लागू करने की आवश्यकता होती है ताकि जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है वह उपयुक्त रूप से प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में देखा जाए तो, जब छत्तीसगढ़ राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवा और पद पर नियुक्ति की मांग करने वाली महिला उम्मीदवारों की बात आती है, तो नियम, 1997 के नियम 4 की सार्वभौमिक अनुप्रयोग वाली व्याख्या की जानी चाहिए। आख़िरकार, वैधानिक चरित्र वाले उपरोक्त नियम को लागू करने के पीछे यही प्राथमिक उद्देश्य है।

28. कानून निर्माता की मंशा जानने के लिए 'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' का सिद्धांत अब व्यापक रूप से लागू किया जाता है। इसे शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला[6] के मामले में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

> "9. मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त दो कारण, मेरे विद्वान भाई के फैसले में पहले से बताए गए कारणों के अलावा, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित

करेंगे कि अधिनियम की धारा 15(2) के प्रावधानों को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है ताकि उपरोक्त इस तरह के प्रावधान के उद्देश्य/आशय को हासिल किया जाता है। 'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' या 'उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन' का सिद्धांत इस समझ पर आधारित है कि न्यायालय को उन प्रावधानों से उस अर्थ को जोड़ना चाहिए जो इस तरह के प्रावधान के पीछे उद्देश्य को पूरा करते हैं। मूल दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि इसे क्या पूरा करने के लिए परिकल्पित किया गया है? इसे अन्यथा कहें तो, व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा न्यायालय को उस लक्ष्य का एहसास होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए कानूनी पाठ को परिकल्पित किया गया है। जैसा कि अहरन बराक कहते हैं:

"उद्देश्यपूर्ण व्याख्या तीन घटकों पर आधारित है: भाषा, उद्देश्य और विवेक। भाषा अर्थ संबंधी संभावनाओं की सीमा को आकार देती है जिसके भीतर दुभाषिया एक भाषाविद् के रूप में कार्य करता है। एक बार जब व्याख्याकार सीमा को परिभाषित करता है, तो वह (व्यक्त या निहित) अर्थ संबंधी संभावनाओं के बीच मूलपाठ का कानूनी अर्थ चुनता है। अर्थ संबंधी घटक इस प्रकार व्याख्याकार को कानूनी अर्थ तक सीमित करके व्याख्या की सीमाएं निर्धारित करता है जिसे मूलपाठ अपनी (सार्वजनिक या निजी) भाषा में सहन कर सकता है।

10. उपरोक्त तीन घटकों भाषा, उद्देश्य और 'न्यायालय का विवेक' में से जहां तक उद्देश्यपूर्ण घटक का संबंध है, यह अनुपात न्यायशास्त्र है, पाठ के मूल में उद्देश्य है। यह उद्देश्य वे मूल्य, लक्ष्य, रुचियां, नीतियां और लक्ष्य हैं जिन्हें साकार करने के लिए मूलपाठ को

परिकल्पित किया गया है। यह वह कार्य है जिसे पूरा करने के लिए मूलपाठ को परिकल्पित किया गया है।

11. हम इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि किसी प्रावधान की वैधानिक व्याख्या कभी स्थिर नहीं होती बल्कि हमेशा गतिशील होती है। हालाँकि, कुछ समय पहले तक व्याख्या के शाब्दिक नियम को 'स्वर्णिम नियम' माना जाता था, लेकिन अब यह उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत है जो प्रभावी है, खासकर उन मामलों में जहां शाब्दिक व्याख्या उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है या बेतुकेपन का कारण बन सकती है। यदि यह कोई ऐसा अंत लाता है जो क़ानून के उद्देश्य से भिन्न है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न केवल हार्ट और सैक्स जैसे कानूनी प्रक्रिया विचारकों ने वैधानिक व्याख्या के लिए एक भव्य रणनीति के रूप में इरादेवाद को खारिज कर दिया, और इसके स्थान पर उन्होंने उद्देश्यवाद की पेशकश की, यह सिद्धांत अब न केवल इस देश में बल्कि कई अन्य कानूनी प्रणालियों में भी न्यायालयों द्वारा व्यापक रूप से लागू किया जाता है।"

29. यदि नियम, 2000 में किसी विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति के कारण नियम, 1997 की प्रयोज्यता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2003 द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है। प्रत्यर्थियों द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं है कि उपाधीक्षक के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा उपरोक्त नियमों के तहत आयोजित की गयी थी। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त नियमों का नियम 5 पात्रता शर्तों से संबंधित है। राष्ट्रीयता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आदि निर्धारित करने के अलावा, यह विशेष रूप से उम्मीदवारों की आयु से संबंधित प्रावधान निर्धारित करता है। परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा को पात्रता शर्त के रूप में निर्धारित करने के बाद, आयु के इस

प्रावधान का परंतुक राज्य सरकार को सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल किसी भी सेवा के लिए निचली और ऊपरी आयु सीमा में बदलाव करने का अधिकार देता है। यह नियम कुछ मामलों में ऊपरी आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान करता है। हमारे लिए प्रासंगिक बात यह है कि महिला उम्मीदवारों के लिए, एक प्रावधान विशेष रूप से बनाया गया है कि नियम, 1997 के अनुसार, महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी, जैसा कि उक्त प्रावधान से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

> "(xiv) अधिकतम 10 वर्ष तक: महिला अभ्यर्थी के लिए: दिनांक 7.2.1997 के राजपत्र (असाधारण), प्रकाशित नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति का विशेष प्रावधान) नियम 1997 के अनुसार, महिला अभ्यर्थी को आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।"

30. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उपरोक्त नियम, 1997 को उसी तरीके से शामिल किया गया था, जिसे प्रश्नगत परीक्षा के लिए लागू किया गया था और इस तरह नियम, 2000 की कमी भी पूरी हो गई। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि नियम, 2000 के नियम 8 में नियम, 1997 का लोप महज आकस्मिक था और यह आकस्मिक चूक का मामला नहीं था। क्योंकि इस कारण से, नियम, 2005 को अधिनियमित करते समय नियम, 2005 के नियम 8 (च) में एक विशिष्ट प्रावधान बनाकर उक्त चूक को भी सुधारा गया था। इसलिए नियम बनाने वाले अधिकारियों की मंशा हमेशा से महिला अभ्यर्थियों को उम्र में छूट का लाभ देने की रही है। आख़िरकार, हमें अधीनस्थ कानून की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है जिसका लक्ष्य सामाजिक उद्देश्य और परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। ऐसे कानूनों की व्याख्या करने में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इसे बादशाह बनाम सौ.उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य[7] में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

"13.3. तीसरा, ऐसे मामलों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रावधान के तहत निराश्रित पत्नी या असहाय बच्चों या माता-पिता के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के साथ व्यवहार कर रहा है। इसका उद्देश्य "सामाजिक न्याय" प्राप्त करना है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित संवैधानिक दृष्टि है। भारत के संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने विधि के शासन के तहत लोकतांत्रिक मार्ग चुना है । यह विशेष रूप से उनके सामाजिक न्याय को प्राप्त करने पर प्रकाश डालता है। इसलिए सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना न्यायालयों का परम कर्तव्य बन जाता है। किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को कानून और समाज के बीच की खाई को पाटना होता है।

14. हाल ही में, इसी दिशा में, इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायालयों को "सामाजिक न्याय निर्णय" में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने होंगे, जिसे "सामाजिक संदर्भ निर्णय" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि केवल "प्रतिकूल दृष्टिकोण" बहुत उपयुक्त नहीं हो सकता है। समाज में कमजोर समूहों को विशेष सुरक्षा और लाभ देने वाले कई सामाजिक न्याय कानून हैं। प्रो. माधव मेनन इसका स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं: इसलिए यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि "सामाजिक संदर्भ न्यायनिर्णयन" अनिवार्य रूप से समानता न्यायशास्त्र का अनुप्रयोग है जैसा कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा अदालतों के समक्ष प्रस्तुत असंख्य स्थितियों में विकसित किया गया है जहां असमान पक्षों को प्रतिकूल कार्यवाही में खड़ा किया जाता है और जहां अदालतों को समान न्याय देने के लिए कहा जाता है। असमान लड़ाई में गरीबों की अक्षमताओं को बढ़ाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के अलावा, प्रतिकूल प्रक्रिया स्वयं कमजोर पक्ष के नुकसान के लिए संचालित होती है। ऐसी स्थिति में, न्यायाधीश को न केवल इसमें शामिल पक्षों की असमानताओं के प्रति संवेदनशील होना होगा, बल्कि कमजोर पक्ष के प्रति भी सकारात्मक रूप से झुकना होगा, यदि असंतुलन के परिणामस्वरूप न्याय विफल न हो। यह परिणाम जिसे हम सामाजिक संदर्भ न्यायनिर्णयन या सामाजिक न्याय निर्णय कहते हैं, द्वारा प्राप्त किया जाता है।

15. भरण-पोषण का प्रावधान निश्चित रूप से इस श्रेणी में आएगा जिसका उद्देश्य निराश्रितों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय या समानता और व्यक्ति की गरिमा प्राप्त करना है। इस प्रावधान के तहत मामलों से निपटने के दौरान "प्रतिकूल" मुकदमेबाजी से लेकर सामाजिक संदर्भ न्यायनिर्णयन तक के दृष्टिकोण में बदलाव समय की मांग है।

16. कानून लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह व्यवहार के प्रतिरूप निर्धारित करता है। यह समाज के मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। न्यायालय की भूमिका समाज में कानून के उद्देश्य को समझना और कानून को उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करना है। लेकिन समाज का कानून एक जीवित संगठन है। यह एक दी गई तथ्यात्मक और सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है जो लगातार बदल रही है। कभी-कभी कानून में परिवर्तन सामाजिक

परिवर्तन से पहले होता है और इसका उद्देश्य इसे प्रोत्साहित करना भी होता है। हालाँकि, ज्यादातर मामलों में, कानून में बदलाव सामाजिक वास्तविकता में बदलाव का परिणाम है। दरअसल, जब सामाजिक वास्तविकता बदलती है, तो कानून भी बदलना चाहिए। जिस प्रकार सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन जीवन का नियम है, उसी प्रकार सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया ही कानून का जीवन है। यह कहा जा सकता है कि कानून का इतिहास कानून को समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार ढालने का इतिहास है। संवैधानिक और वैधानिक दोनों व्याख्याओं में, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उद्देश्य के बीच उचित संबंध निर्धारित करने में निर्देश दे।

17. कार्डोज़ो ने अपने क्लासिक में स्वीकार किया ... लिखित कानून की कोई भी प्रणाली इसकी आवश्यकता से बच नहीं पाई है", और वह विस्तार से बताते हैं: "यह सच है कि संहिताएं और क़ानून न्यायाधीश को फ़ालतू नहीं बनाते हैं, न ही उनके काम को निष्क्रिय और यांत्रिक बनाते हैं। कुछ कमियाँ हैं जिन्हें भरना है। ऐसी कठिनाइयाँ और गलतियाँ हैं जिन्हें यदि टाला न जाए तो कम किया जा सकता है। व्याख्या के बारे में अक्सर इस तरह बात की जाती है जैसे कि यह एक ऐसे अर्थ की खोज और प्रकटीकरण के अलावा और कुछ नहीं है, जो अस्पष्ट और अव्यक्त होने के बावजूद कानून निर्माता के दिमाग में वास्तविक और निश्चित पूर्व-अस्तित्व से कम नहीं है। प्रक्रिया वास्तव में कभी-कभी वैसी ही होती है, लेकिन अक्सर यह कुछ और होती है। आशय का पता लगाना किसी न्यायाधीश के लिए किसी उच्चता का अर्थ बताने में सबसे कम परेशानी हो सकती है।

ग्रे अपने व्याख्यान में कहते हैं-

तथ्य यह है कि तथाकथित व्याख्या की कठिनाइयाँ तब उत्पन्न होती हैं जब विधायिका का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है; जबकि क़ानून पर जो प्रश्न उठाया गया है, वह कभी उसके मन में ही नहीं आया; जब न्यायाधीशों को जो करना है, वह यह निर्धारित करना नहीं है कि विधायिका का उस बिंदु पर क्या मतलब था जो उसके दिमाग में मौजूद था, बल्कि यह अनुमान लगाना था कि उस बिंदु पर क्या आशय होगा जो उसके दिमाग में मौजूद नहीं था, यदि कोई बिंदु मौजूद होता।

18. कानून के व्याख्याकार के रूप में न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र निर्णय की एक विधि- "लिबरे रीचर्चे सेइंटिफिक" यानी "मुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान" के माध्यम से चूक, अनिश्चितताओं को ठीक करे और न्याय के साथ सुसंगत परिणाम प्रदान करें। हमारी राय है कि एक अखंडनीय धारणा है कि विधानमंडल ने अपने संवैधानिक कर्तव्य को अच्छे विश्वास से पूरा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जैसे प्रावधान बनाते समय हमेशा महिला को ऐसी परिस्थितियों में "पत्नी" बनने से राहत देने का आशय रखा था। लैंगिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेते समय इस दृष्टिकोण की विशेष रूप से आवश्यकता है। इस संबंध में अनुकरणीय प्रयासों के उदाहरण पहले से ही हमारे पास हैं। शाह बानो एआईआर 1985 एससी 945 से शबाना बानो एआईआर 2010 एससी 305 तक का सफर, मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण के अधिकार का आश्वासन देना एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

19. रमेशचंद्र डागा बनाम रामेश्वरी डागा, एआईआर 2005 एससी 422 में समान स्थिति में एक अन्य महिला के अधिकार को बरकरार रखा गया था। यहां न्यायालय ने माना था कि 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के बावजूद हिंदू विवाह द्विविवाह जारी है। न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि हालांकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे विवाह अवैध हैं, लेकिन वे 'अनैतिक' नहीं हैं और इसलिए आर्थिक रूप से आश्रित महिला को इस आधार पर भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता।

20. इस प्रकार, किसी क़ानून की व्याख्या करते समय न्यायालय न केवल उस उद्देश्य को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए क़ानून बनाया गया था, बल्कि उस रिष्टि को भी ध्यान में रख सकता है जिसे वह दबाना चाहता है। यह रिष्टि का नियम है, जिसे पहली बार हेडन का मामला (1854) 3 को. रिप. 7ए, 7बी में प्रतिपादित किया गया था, जो उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का ऐतिहासिक स्रोत बन गया। अदालत ऐसे मामलों में कानूनी कहावत अर्थान्वयन का किसी चीज़ का प्रभाव डालना, उसे शून्य बना देने से बेहतर है, का भी इस्तेमाल करेगी अर्थात जहां वैकल्पिक निर्माण संभव है, अदालत को उस पर अमल करना होगा जो तंत्र के सुचारू कामकाज के लिए जिम्मेदार होगा जिसके लिए ऐसा क़ानून नहीं बनाया गया है जो इसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। यदि चयन दो व्याख्याओं के बीच है तो इनमें से जो संकीर्ण हो, वह कानून के स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होगा उससे बचना चाहिए। हमें ऐसे अर्थान्वयन से बचना चाहिए जो कानून को निरर्थकता में बदल देगा और इस दृष्टिकोण के आधार पर साहसी अर्थान्वयन को स्वीकार करना चाहिए कि संसद केवल प्रभावी

परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी। यदि इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह पत्नी को धोखा देने के लिए पति को बढ़ावा देने के समान होगा। इसलिए कम से कम धारा 125, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण का दावा करने के उद्देश्य से ऐसी महिला को कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में माना जाना चाहिए।

21. हिंदू वैयक्तिक विधि के सिद्धांत इसके अंतर्गत आने वाले सभी लोगों की चिंता से एक विकासवादी तरीके से विकसित हुए हैं ताकि निराश्रयता के खिलाफ उचित प्रावधान किया जा सके। प्रत्यक्ष उद्देश्य अपेक्षाकृत छोटे सामाजिक समूहों के सदस्यों को बनाए रखने के लिए न्यूनतम प्रावधान करने हेतु सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसका आधार-उछाल मानवतावादी है। हालाँकि अपने संचालन क्षेत्र में यह अपने उपकार के तहत अनुमेय श्रेणियों को निर्धारित करता है, जो या तो स्पष्ट सार्वजनिक नीति द्वारा समर्थित सिद्धांतों के कारण या रखरखाव के लिए मापी गई सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण इसके हकदार हैं।

22. उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाने में, हम कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम वीना कौशल (1978) 4 एससीसी 70 में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से भी प्रोत्साहित होते हैं:

यदि इसकी सामाजिक प्रासंगिकता होनी है तो महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक सहानुभूति की विचारशील उपस्थिति की व्याख्या अवश्य की जानी चाहिए। इस प्रकार देखा जाए

तो, दो विकल्पों में से उस व्याख्या को चुनने में चयनात्मक होना संभव है जो कारण को आगे बढ़ाता है- अपमान के कारण को।"

31. जब उपरोक्त सभी नियमों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो नियम बनाने वाले प्राधिकारी का आशय स्पष्ट हो जाता है और स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। नियम बनाने वाली प्राधिकारी का आशय महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ देना था और अब भी है। हमारे अनुसार, वह सच्चे आशय का प्रतिनिधित्व करता है। अन्यथा ऐसे नियमों का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने अस्पष्टता को दूर करके और नियम, 2005 में भी एक विशिष्ट प्रावधान प्रदान करके अपना आशय प्रकट किया है, जो हमारे अनुसार प्रचुर सावधानी के माध्यम से है ताकि इस प्रकार के विवाद या स्थितियां जिनका हम यहां सामना कर रहे हैं, समाप्त हो जाएं।

32. इस प्रकार अंतिम विश्लेषण में, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता 1997 के नियमों के नियम 4 सपठित राज्य सेवा परीक्षा, 2003 के अनुसार आयु में छूट का हकदार थी। इसलिए, वह उपाधीक्षक पद के लिए विचार किए जाने के योग्य थीं। ऊपर वर्णित तथ्यों से पता चलता है कि उसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और तैयार की गई मेरिट सूची में उसे क्रमांक 54 पर रखा गया। मेरिट सूची में उनके नीचे के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। उसे केवल कथित आयु सीमा के कारण बाहर रखा गया था क्योंकि हमने पाया कि यह बाधा उसके रास्ते में नहीं आएगी, वर्तमान अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ता को उस प्रभावी तारीख से, पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश जारी किया जाता है, जिस तारीख को मेरिट सूची में उनके कनिष्ठ तारकेश्वर पटेल और रण साहू की नियुक्ति की गयी है। उसकी वरिष्ठता और वेतन उसी आधार पर तय किया जाएगा। हालाँकि, उसे बीच की अवधि के लिए वेतन के लिए कोई दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अन्यथा बीच की अवधि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार यह अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है।

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे

1. मुझे अपने विद्वान भाई की विस्तृत, सुविचारित और विद्वत्तापूर्ण लिखित मसौदा राय को पढ़ने का लाभ मिला है।

2. राय का अध्ययन करने के बाद, मैं अपने विद्वान भाई के तर्क और निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं।

3. मेरी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता राज्य सेवा परीक्षा नियमों के नियम 5 के खंड (xiv) के प्रावधान के साथ पढ़े गए 1997 के नियमों के नियम 4 में महिला उम्मीदवारों को प्रदान की गई आयु में छूट का दावा करने की हकदार है, जो पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए अपीलकर्ता के मामले पर विचार करते समय लागू होता है। हालाँकि, मुझे अपने निष्कर्ष को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इस मुद्दे पर अपने विद्वान भाई के तर्क से पूरी तरह सहमत हूँ।

4. मैं अपने विद्वान भाई द्वारा परिच्छेद 26 में की गई सूक्ष्म टिप्पणियों से भी सहमत हूं जहां उनकी प्रभुता ने देखा है कि 1997 के नियमों और विशेष रूप से नियम 4 को प्रख्यापित करने का उद्देश्य विभिन्न राज्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। मेरे विचार में, राज्य सेवाओं में पद के लिए किसी महिला उम्मीदवार के मामले पर विचार करते समय उसे इस तरह के लाभ से इनकार करना नियम को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। विधानमंडल का आशय भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की भावना के विपरीत कभी नहीं हो सकता।

5. अपने इन चंद शब्दों से मैं अपने विद्वान भाई से पूरी तरह सहमत हूं।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नरेन्द्र नारायण शर्मा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****

[1] (1983) 3 एससीसी 284

[2] (1998) 9 एससीसी 223

[3] 1988 (पूरक) एससीसी 740

[4] (2007) 10 एससीसी 260

[5] 5 (2007 10 एससीसी 402

[6] 2015 (11) स्केल 684

[7] (2014) 1 एससीसी188